जागीर – यह भूमि का अनुदान नहीं था, बल्कि राजस्व वसूली का अधिकार था, जो मुगलों द्वारा सैन्य और प्रशासनिक सेवाओं के बदले मंसबदारों को दिया जाता था। जागीरदार इस भूमि के स्वामी नहीं होते थे, वे केवल राजस्व संग्रहण के अधिकारी होते थे।

तंख़्वाह जागीर – यह मंसबदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली जागीर थी। उन्हें इस भूमि से प्राप्त राजस्व से अपनी सैन्य टुकड़ी का खर्च और वेतन देना होता था।

वतन जागीर – यह वंशानुगत जागीर थी, जो कुछ राजपूत और मराठा सरदारों को उनके वफादारी के बदले स्थायी रूप से दी जाती थी। ये भूमि आमतौर पर उनके पैतृक क्षेत्र में होती थी और उनके परिवारों के पास बनी रहती थी।

मशरूत जागीर – यह शर्तों के साथ दी गई जागीर थी, जिसे किसी विशेष सेवा, जैसे सैन्य सहायता या प्रशासनिक कार्य, के आधार पर प्रदान किया जाता था। यदि जागीरदार शर्तों को पूरा नहीं करता, तो जागीर वापस ली जा सकती थी।

मंसबदार – यह मुगलों के प्रशासनिक और सैन्य पदाधिकारी होते थे, जिन्हें "मंसब" (पद) दिया जाता था। ये मंसबदार सैनिकों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत होते थे और जागीर से मिलने वाले राजस्व के जिरए अपनी सैन्य टुकड़ियों का खर्च उठाते थे।

स्थानांतरण नीति (1579) – अकबर के शासन में 1574 से ही जागीरों का स्थानांतरण प्रारंभ हो गया था, लेकिन यह नीति और अधिक प्रभावी रूप से शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों से प्रभावित होकर लागू हुई। उद्देश्य यह था कि जागीरदार किसी क्षेत्र में स्थायी रूप से न जमे और प्रशासन पर उनकी पकड़ न बने।